**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1656

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से छात्रवृत्ति हेतु पात्रता**

**1656. श्री रीताब्रता बनर्जी**

**श्री हुसैन दलवईः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू॰जी॰सी॰) से छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन विद्यार्थियों में से 31 मार्च, 2018 तक कितने विद्यार्थियों ने अपने आधार नम्बर को जोड़ दिया है;

(ग) बचे हुए विद्यार्थियों में से कितनों को छद्म, फर्जी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और कितनों को अभी अपना आधार नम्बर जोड़ना है, और कितने विद्यार्थियों के नाम उक्त कारणों से हटा दिए गए हैं; और

(घ) जिन विद्यार्थियों के आधार नम्बर जुड़े हुए थे और उनमें से जिनके नहीं जुड़े थे लेकिन नाम नहीं हटाए गए थे, उनके खातों में साल भर में कितनी बार छात्रवृत्ति जमा की गई?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

 **(डॉ. सत्‍यपाल सिंह)**

(क) और (ख): विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि उसने राष्‍ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर वर्ष 2017-18 से अपनी चार छात्रवृत्त्‍िा योजनाएं शुरू की है जो निम्‍नानुसार हैं:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | योजना का नाम  |  प्रतिवर्ष स्‍लॉट | 31.03.2018 तक जीवित लाभार्थियों की संख्‍या | आधार नम्‍बर जोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्‍या  | आधार जोड़ने का प्रतिशत  |
| 1. | एससी/एसटी अभ्‍यर्थियों के लिए व्‍यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु स्‍नातकोत्‍तर छात्रवृत्ति  | 1000 | 2578 | 1187 | 46%  |
| 2. | इंदिरा गांधी एकल बालिका स्‍नातकोत्‍तर छात्रवृत्ति | कोई सीमा नहीं  | 11532 | 6703 | 58% |
| 3. | पूर्वोत्‍तर क्षेत्र हेतु ‘ईशान उदय’  | 10000 | 20682 | 4885 | 23.6% |
| 4. | यूनिवर्सिटी रैंक होल्‍डर  | 3000 | 3842 | 2314 | 60% |
| 5.  | गेट/जीपेट अर्हता प्राप्‍त अभ्‍यर्थियों के लिए स्‍नातकोत्‍तर छात्रवृत्ति  | कोई चयन नहीं किया गया है प्रतिपूर्ति के आधार पर दावों का निपटान किया जाता है।  | 493 | 309 | 62%  |

(ग) और (घ): यूजीसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आधार की अनुपलब्‍धता के कारण किसी भी विद्यार्थी का नाम नहीं हटाया गया है।

**\*\*\*\*\***